

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/119614/KPN/KANPUR NAGAR/3258/CFO

दिनांक : 31-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SHRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL** पता **KHATA NO 1431 TO 1435, 1447 TO 1450 AND 1456 VILL-NANDANA, PATARSA, KANPUR** तहसील-GHATAMPUR प्लॉट एरिया - **9120.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2126.93** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या-2

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SHRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL	2	0	10.95mt

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SHRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित कराई गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्रीमती VIJAY LAXMI E-Mail ID- sriraminternationalschool2020@gmail.com Mobile No.:8299049534 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानको के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अर्न्तगत वैधता तिथि 05-06-2024 to 05-06-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SHRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SHRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।”

Note: NOC is issued as per NBC-2016 norms & DGFS Circular on 14.03.24 on GROUND FLOOR ONLY as per the Physical Site Inspection & Verification with the Recommendations of FSSO k-7,1.अई अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2.फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अई एजेन्सी से कराया जाये। 3.विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4.भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर – ;डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

DEEPAK SHARMA

B71BCBD890E841A82E9C61C61AA329ECEC704410

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-06-2024

स्थान : KANPUR NAGAR

Note:-Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID departmental portal of UP Fire Service.